

1/07/2016 पक्षकारान उपस्थित ।

उक्त पत्रावली राखव  
लोक अदालत के जो आपके  
न्यायालय हाजा सुप्रीम  
में वरोग आज पेश हुई।  
इस पत्रावली से सम्बन्धित  
मूलवाड पत्रावली संख्या  
रा.वा. 6/2016 का फैसला  
हो चुका है और इस पत्रा  
की कार्यवाही को आगे जारी  
रखना न्यायोचित नहीं होगा।  
अतः पत्रावली फैसले में  
सुमार व नंबर से कम  
हो कर दाखिल दखतर हो

उपखण्ड अधिकारी  
सुप्रीम, जि.पाली (राज.)